



UTTARAKHAND
Ph. No. 05966-220679,
Fax No. 05966-220679

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत



E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 3542/36 सी०

दिनांक 11-12-21

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में झीमार बाजार से तल्ला विरल गॉव तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरक राम जी के नाम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/36077/2018) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके द्वारा दिनांक 28.09.2021 को लगायी गयी आपत्ति के सन्दर्भ में।

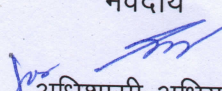
महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Please provide hard copy of porposal	उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 322/36 सी० दिनांक 08.02.2021 के द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी देहरादून के कार्यालय में तीन प्रति में हार्ड कापी पूर्व से ही उपलब्ध करा दी गयी है। जिसकी पावती की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

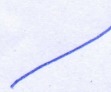
भवदीय


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रानीखेत

पत्रांक /

दिनांक

प्रतिलिपि – सहायक अभियन्ता (नोडल)/सहायक अभियन्ता (चतुर्थ) प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रानीखेत।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रांचीखेट



Ph. No. 03966-220679

Fax No. 03966-220679

E-mail - exp@raichikhet.com

पत्रांक 322/36 सी.

दिनांक रांचीखेट, 08/02/2021

सेवा में,

आपके प्रमुख नग्न सार्वजनिक
एवं मोडल अधिशासी भूमि सर्वेक्षण निदेशानुसार
इन्डिराप्रसाद मारेस्ट भवन
(सत्तासखण्ड) देवसदत।

विषय - माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2245/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विभाजन
क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत सीमांत बाजार से चलता विरलगाव तक स्वतंत्रता संग्राम सभा
हरकशम जी के जग मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6250 मीटर) 06/02/2021
(परताव संख्या-ET/UK/GOAD/36077/2018)

संदर्भ -

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग का क्षेत्र भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव का मंजूर कर परताव और
माईन कर दिया गया है। आपके अधिलेखन प्रस्ताव मूल में 30-70 प्रतिशत में प्रमाणित किया जा रहा है, ताकि
प्रस्ताव में अधिक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न - उपरोक्तानुसार। 322/36

(लिखित आदेश योग्य)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रांचीखेट।

पत्रांक 322/36 सी.

सद्विचारिता।

प्रमाणित प्रमाणित नवीकरणीय अल्मोड़ा एवं प्रमाण अल्मोड़ा के आदेश सुगमता एवं अधिक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(लिखित आदेश योग्य)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रांचीखेट।

प्रमाणित आदेश योग्य एवं सल्ट, देवसदत
अधिशासी अभियन्ता (परताव)
09-2-2021
प्राप्त किया 374